| दिनाँक | **न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 03, अजमेर**<br><br>**सत्यनारायण बनाम राजू सिंह**<br>**दीवानी वाद संख्या 23/19**<br>**सीआईएस संख्या 108/19** | अनुपालना टिप्पणी |
|---|---|---|
| 20–01–2025 | अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र पूर्व में सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।<br>विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से तर्क दिया गया कि वादी द्वारा इकरारनामा दिनांकित 16–06–2016 की विनिर्दिष्ट अनुतोष की पालना हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है, उक्त इकरारनामा विधिनुसार मुद्रांकित नहीं है, जिसे विधिनुसार डयूली स्टाम्प करवाये जाने हेतु कलेक्टर अजमेर को भिजवाये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि वादी की ओर से प्रकरण में विलम्ब कारित करने के आशय से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उक्त इकरारनामा विधिनुसार पर्याप्त मुद्रांकित नहीं होने से साक्ष्य में ग्राहय नहीं है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।<br>उभय पक्षों को सुना, पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादी की ओर से इकरारनामा दिनांकित 16–06–2016 की विनिर्दिष्ट अनुपालना हेतु पेश किया है, चूंकि उक्त् इकरारनामा पर्याप्त रूप से स्टाम्पित नहीं है, जिसे स्टाम्पित करवाया जाना आवश्यक है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर इकरारनामा दिनांकित 16–06–2016 को विधिनुसार स्टाम्पित करवाये जाने हेतु कलेक्टर मुद्रांक अजमेर को प्रेषित किया जावे। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वह मूल इकरारनामा की सत्यप्रति रेकॉर्ड पर रखकर मूल इकरारनामा प्राप्त कर एक माह के भीतर विधिनुसार स्टाम्पित कराकर न्यायालय में पेश करे।<br>पत्रावली वास्ते देखने पालना हेतु दिनांक ..... को पेश हो<br><br>**( अमर वर्मा )**<br>**अपर जिला न्यायाधीश संख्या–3**<br>**अजमेर** | |